8/10/21

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत परसरामपुरा कैम्प में पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। TOL नवलगढ़ से वाद के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट TOL वादी का वाद स्वीकार किया जाना यथोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी मुताबिक चाहे गये अनुतोष अनुसार स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक चाहे गये अनुतोष स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। वाद निर्णय का भाग होगा। डिक्री पृथक से जारी की जाती है। तहसीलदार नवलगढ़ मुताबिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद तकमील आफिस दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गाँवों के संग अभि...
उपखण्ड अधि...

2

ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : बाबत घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 20/2021 (राजेन्द्र कुमावत ......वगै0 बनाम .... तह0 नवलगढ़

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 8/10/2021 निर्णयानुसार ~~राजस्व ग्राम~~ वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में चाहे गये अनुतोष अनुसार वाद स्वीकार किया जाता है। वाद निर्णय का भाग होगा। तहसीलदार नवलगढ़ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।
तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

जन............–................ मुबलिग............–.............बाबत......–............खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–.............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 8...माह 10....... सन 2021 को जारी की गई।

सुमन सोनल RAS

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	.00
वकालतनामा स्टाम्प	.00	स्टाम्प वकालतनामा	.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	2.00	मुतफरिक मिजान	.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:41 IST
Reason: SelfAttested

Reader
जांच कर रिपोर्ट करें।
19/4/21

न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय,
नवलगढ़

1. राजेन्द्र कुमावत पुत्र भागचन्द उम्र 35 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज.)
2. अशोक कुमार पुत्र भागचन्द उम्र 31 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज.)
3. संजेश कुमार पुत्र भागचन्द उम्र 29 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज.)
4. सुनिता देवी पुत्री भागचन्द उम्र 39 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज.)
5. सुनिता देवी पुत्री भागचन्द उम्र 36 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज.)
6. चन्द्रकांता पुत्री भागचन्द उम्र 30 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज.)
7. सावित्री देवी पत्नी भागचन्द उम्र 55 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज.)

---- वादी

बनाम

1. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.) तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज.)

---- प्रतिवादी

<u>दावा घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकॉर्ड</u>

वाद वादी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह कि ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलग[illegible] नया खाता संख्या 199 में खसरा नम्बर 2306 रक[illegible] भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/6 है। जो [illegible] पति से उतराधिकार में प्राप्त हुआ है। उक्त भूमि में शेष हिस्सों बाबत अ[illegible] किसी से कोई विवाद नही है। इसलिए किसी सह खातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damayanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:41 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि वादीगण के पिता व पति का नाम भागचन्द पुत्र गणेशा राम है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता व पति का नाम राजस्व कर्मचारियों ने गलती से फूलचन्द पुत्र गणेशा दर्ज कर रखा है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 2306 रकबा 2.10 हैक्टर की खातेदारी में 1/6 हिस्सा वादीगण के पिता व पति का नाम भागचन्द की जगह फूलचन्द दर्ज करते हुये राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाने हेतु उक्त वाद सेवामें पेश है।

3. यह कि वादीगण के पिता व पति भागचन्द का दिनांक 30.03.2021 को स्वर्गवास हो गया है। वादीगण के पिता व पति के स्वर्गवास के पश्चात वादीगण ने अपनी कृषि भूमि के विरासतन नामांतरण हेतु जमाबंदी निकलवाई तब वादीगण को अपने पिता व पति का नाम भाग चन्द पुत्र गणोशाराम की जगह फूलचन्द पुत्र गणेशाराम दर्ज होने का पता चलने पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती हेतु उक्त दावा पेश किया जा रहा है।

4. यह कि वादीगण के पिता व पति का नाम वादीगण के दस्तावेजात व वादीगण के पिता व पति भागचन्द स्वयं के समस्त दस्तावेजात में भागचन्द दर्ज है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में सम्बंधित कर्मचारी की गलती से फूलचन्द दर्ज कर दिया। चूंकी अब दिनांक 30.03.2021 को वादीगण के पिता की अचानक मृत्यू हो गई है। वादीगण के पिता व पति की मृत्यू के पश्चात उनकी जगह वादीगण को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाने हेतु उक्त वाद सेवामें पेश है।

5. यह कि वादीगण के पूर्वज गणेशाराम थे। गणेशाराम के दो पुत्र नारायण व भागचन्द थे। इनके अलावा फूलचन्द नाम का अलग से कोई पुत्र नही था। बल्की वादीगण के पिता व पति भागचन्द को ही आम बोलचाल में फूलचन्द कह देते थे। भागचन्द व फूलचन्द एक ही थे। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में फूलचन्द व अन्य दस्तावेजात में भागचन्द दर्ज रहने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में फूलचन्द पुत्र गणेशाराम की जगह भागचन्द पुत्र गणेशाराम दर्ज किया जाकर उक्त भूमि में 1/6 का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे जिसके लिए उक्त वाद पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:41 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि उक्त वाद हेतु वाद कारण वादीगण के पिता व पति का स्वर्गवास दिनांक 30.03.2021 को को होने के पश्चात नामांतरण हेतु राजस्व रिकॉर्ड की नकल दिनांक 15.04.2021 को लेने पर रिकॉर्ड में वादीगण के पिता व पति का नाम भागचन्द की जगह फूलचन्द दर्ज होने की जानकारी होने के रोज न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।

राजेन्द्र

7. यह कि फरीकेन दावा एवं कृषि भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से श्रीमान न्यायालय को उक्त वाद सुनने व निर्णय करने का पूर्ण क्षैत्राधिकार है।

8. यह कि दावा 2/– रूपयें कोर्ट फीस पर पेश हे।

9. अतः वाद पेश कर निवेदन हे कि :–

(क) ग्राम परसरामपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2306 करबा 2.10 हैक्टर में दर्ज फूलचन्द पुत्र गणेशाराम हिस्सा 1/6 की जगह भागचन्द पुत्र गणेशाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। चूंकि वादीगण 1 लगायत 6 के पिता व वादी नम्बर 7 के पति भागचन्द पुत्र गणेशाराम का स्वर्गवास हो चुका है। इसलिए इनकी जगह वादीगण को 1/6 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावें।

(ख) यह कि अन्य कोई सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो और वादीगण के पक्ष में पड़ती हो वह भी दिलवाई जावें।

दिनांक : 19-04-2021

प्रार्थी

राजेन्द्र 1. राजेन्द्र कुमावत पुत्र भागचन्द

अशोक कुमार 2. अशोक कुमार पुत्र भागचन्द

संजेश कुमार 3. संजेश कुमार पुत्र भागचन्द

सुनीता 4. सुनिता देवी पुत्री भागचन्द

सुनीता देवी 5. सुनिता देवी पुत्री भागचन्द

चन्द्रकान्ता 6. चन्द्रकांता पुत्री भागचन्द

7. सावित्री देवी पत्नी भागचन्द

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:41 IST
Reason: SelfAttested

तस्दीक

राजेन्द्र कुमावत पुत्र भागचन्द उम्र 35 ... जाति कुमावत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज.) शपथ पूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त वाद पत्र की मद संख्या 1 लगायत अन्तिम मेरी स्वयं की निजी जानकारी में सही व सत्य है।

राजेन्द्र